

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प गिरधारी लाल पुरा

15/12/24

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का हुक्कण व भूअ.नि. वृत्त निमोड़िया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चाकसू/नायब तहसीलदार चाकसू की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम हुक्कण तहसील चाकसू व जिला जयपुर की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 में खाता संख्या 121 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	हुक्कण	121	रूपा पुत्रमन्ना	रूपा उर्फ रुधा पुत्रमन्ना

क्रमांक:- राजस्व/2024/3808
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, तहसील चाकसू को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री रुपा उर्फ रुधा पुत्रमन्ना को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

शिविर प्रमोद
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)।

दि 17-12-24

शिविर प्रमोद
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)।